

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना
 सतभपाल्य वनाम धीरजी सिंह वर्मा
 नाम इजराय नं 41 सन 2024

रीख व्य	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------------	--

19-7-24 आज यह इजराय पत्रावली
 फर्द रजिस्टर हो। यह बिनी उच्च
 न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न
 होने की दृष्टि के अनुसार तदमीलफत
 नीमराना को अहकाम जारी हो। प्राची
 वाद प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28-8-24 को
 पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
 नीमराना (कोटपूतली-करोड़)

28/8/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। बार सघ नीमराना द्वारा कार्य
 स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
 भ्रादेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-8-24
 को पेश हो।
 रजिस्टर

~~उपखण्ड अधिकारी नीमराना को पत्रावली पेश की गई फरीकॉप के
 अनुसार उपस्थित है। पीठारीय अधिकारी का
 स्थगन आदेश न होने की दृष्टि के अनुसार
 नीमराना को अहकाम जारी हो। प्राची वाद प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28-8-24 को पेश हो।~~

01-01-24 आज यह पत्रावली पेश की गई फरीकॉप के
 अनुसार उपस्थित है। पीठारीय अधिकारी का
 स्थगन आदेश न होने की दृष्टि के अनुसार
 पत्रावली दिनांक 01-01-25 को पेश की जाये।
 न प्राया हाय

तारीख
हुयम

25-11-84

आप पर केवल एक प्रमाण के साथ
 दस्तावेजों के पत्रों 1814
 दि 6-11-84 के साथ बलम
 होकर प्रेष (बुकी) पत्रावली
 में क्र. नं 3251 दि 26-8-84
 द्वारा एक ही पत्रों के पत्रों
 में अनुरोध करके नहीं भेजे
 गये हैं। पत्रावली को एक
 पर साथ ही लाने को
 जारी है। पत्रों के साथ
 प्रमाण होकर नमूने के
 को ही बाद में नमूने
 प्रेषित है।

उपस्थंड अधिकारी
 निरामा (कोटपुतली-बहरा)

प्रमाणित है कि उपरोक्त पत्रों में
 उल्लिखित पत्रों के साथ प्रमाणित
 प्रमाणित है कि उपरोक्त पत्रों में
 उल्लिखित पत्रों के साथ प्रमाणित
 प्रमाणित है कि उपरोक्त पत्रों में
 उल्लिखित पत्रों के साथ प्रमाणित